राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन
एवम्
प्रगति विवरण
2022—23

(माह दिसम्बर, 2022 तक)

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

वित्तीय वर्ष 2022–23 का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवम् प्रगति विवरण

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
1.0	प्रस्तावना	1
2.0	कार्यक्षेत्र	1
3.0	विभाग का संगठनात्मक ढाँचा	1
4.0	संस्थापन	2
4.1	विभाग में मदवार स्वीकृत पद	2
4.2	विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत कार्मिकों का विवरण	2
5.0	वित्तीय व्यवस्था	3
6.0	विभागीय प्रमुख कार्य	3
7.0	भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2022 तक)	4
7.1	नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियाँ, अधिनियम, नियम, विनियम तैयार करने में सहयोग प्रदान करना	5
7.2	भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी राय प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (प्राधिकरण/न्यासों) की बैठक हेतु प्रकरणों का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना	7
7.3	मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सेक्टर प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना	7
7.4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना	7
7.4.1	राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना	7
7.4.2	क्षेत्रीय योजना–2041	7
7.4.3	मास्टर प्लान	8
7.4.4	अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट/परियोजनाएँ एवम् कार्य	8
8.0	प्रशासनिक कार्य	9
8.1	पदोन्नति	9
8.2	नियुक्तियाँ	9
	परिशिष्ट–'अ' : विभाग का संगठनात्मक ढाँचा	10
	परिशिष्ट–'ब' : विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत कार्मिकों का विवरण	11
	परिशिष्ट–'स' : विभाग से सम्बन्धित प्रतिनियुक्ति पद	12
	परिशिष्ट–'द' : पदवार पदोन्नतियों का विवरण	13

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

वित्तीय वर्ष 2022–2023 का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवम् प्रगति विवरण

1.0 प्रस्तावना :

नगर नियोजन विभाग का मुख्य कार्य राज्य के नगरों तथा कस्बों के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना, शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं की रचना करना तथा विभिन्न स्थानीय संस्थाओं/स्थानीय निकायों/अन्य विभागों एवम् राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना बनाना तथा मोनिटरिंग का कार्य भी सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उक्त योजनाओं के बनाने एवम् उनके क्रियान्वयन हेतु अधिनियम, नियम एवम् विनियम आदि तैयार किये जाते हैं।

2.0 कार्यक्षेत्र :

नगर नियोजन विभाग का मुख्यालय, जयपुर में स्थित है। विभाग का कार्य सुगमता पूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से खण्डीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं। इनमें से जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर एवम् जोधपुर में वरिष्ठ नगर नियोजक एवम् अलवर एवम् भरतपुर में उप नगर नियोजक के कार्यालय स्थापित हैं, जिनका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

जयपुर क्षेत्र – जयपुर, दौसा, सीकर एवम् झुन्झुनू जिले।

कोटा क्षेत्र – कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां एवम् सवाईमाधोपुर जिले।

जोधपुर क्षेत्र – जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाडमेर एवम् जैसलमेर जिले।

उदयपुर क्षेत्र – उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एवम् प्रतापगढ़ जिले।

बीकानेर क्षेत्र – बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवम् हनुमानगढ़ जिले।

अजमेर क्षेत्र – अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा एवम् नागौर जिले।

अलवर क्षेत्र – अलवर जिला।

भरतपुर क्षेत्र – भरतपुर, धौलपुर एवम् करौली जिले।

उपरोक्त 8 जोनल एवम् क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य के शेष 25 जिलों में भी जिला नगर नियोजन इकाइयाँ स्थापित की हुई हैं।

3.0 विभाग का संगठनात्मक ढाँचा :

नगर नियोजन विभाग; प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के अधीन कार्यरत है। इस विभाग के विभागाध्यक्ष; मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान हैं। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट–'अ'*** पर संलग्न है।

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

4.0 संस्थापन :

4.1 विभाग में मदवार स्वीकृत पद

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में विभाग में स्वीकृत पदों का मदवार विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	मद	स्वीकृत पद	
		31.12.2021	31.12.2022
1.	आयोजना भिन्न 2217–80–800–16–01	264	247
2.	टीएसपी नॉन प्लान	2	—
3.	आयोजना 2217–80–800–10–01	44	44
4.	टीएसपी प्लान 2217–80–796–01–00	6	8
5.	एनसीआर 2217–80–800–01–00	19	19
	कुल पद	**335**	**318**

इन 318 स्वीकृत पदों में वित्त विभाग की सहमति से वरिष्ठ सहायक के अस्थाई रूप से सृजित 03 पद सम्मिलित है।

4.2 विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत कार्मिकों का विवरण

नगर नियोजन विभाग में दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 134 पद भरे हुए हैं तथा 184 पद रिक्त हैं। विभाग में कार्यरत 134 कार्मिकों के अतिरिक्त, नगर नियोजन विभाग के 53 अधिकारी/कर्मचारी, विभिन्न राजकीय विभागों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों/न्यासों/अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का विवरण ***परिशिष्ट–'ब'*** पर संलग्न है।

(अ) वित्त विभाग की सहमति से प्रतिनियुक्ति के निम्न पद नगर नियोजन विभाग की कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित हैं :–

क. सं.	पदनाम	निकाय	पद संख्या
1.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक **(02 पद)**	रीको के क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (RDA) भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (BIDA)	01 01
2.	सहायक नगर नियोजक **(12 पद)**	जयपुर विकास प्राधिकरण	12
3.	वरिष्ठ प्रारूपकार **(09 पद)**	जयपुर विकास प्राधिकरण	09
4.	कनिष्ठ प्रारूपकार **(03पद)**	जयपुर विकास प्राधिकरण	03

(ब) प्रतिनियुक्ति रिजर्व के पद–

क. सं.	पदनाम	निकाय	पद संख्या
1.	सहायक नगर नियोजक **(9 पद)**	जोधपुर विकास प्राधिकरण अजमेर विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास, कोटा स्थानीय निकाय विभाग	02 04 01 02

विभिन्न राजकीय विभागों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों/न्यासों/अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रतिनियुक्ति के कुल 129 पद, जिन पर समय–समय पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन किया जाता रहा है अथवा संबंधित निकाय द्वारा पदस्थापन हेतु अनुरोध किया जाता रहा है, का विवरण ***परिशिष्ट–'स'*** पर संलग्न है। प्रतिनियुक्ति के इन 129 पदों में उपरोक्त उल्लेखित वित्त विभाग की सहमति से विभागीय कैडर स्ट्रैन्थ में सम्मिलित पद तथा प्रतिनियुक्ति रिजर्व के पद भी सम्मिलित हैं।

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

5.0 वित्तीय व्यवस्था :

विभाग में वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत राज्य निधि (प्रतिबद्ध) में राशि रूपये 1297.32 लाख एवं राज्य निधि मद में राशि रूपये 301.26 लाख के प्रावधान रखे गये हैं, जिसमें एन.सी.आर.पी.बी. से पुनर्भरण योजना (एन.सी.आर.) की आयोजना मद की राशि भी सम्मिलित है। दिनांक 30.11.2022 तक मदवार व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

बजट (2022–23) (रूपये लाखों में)

मद	बजट प्रावधान (BE) वर्ष 2022–23	व्यय (01.04.2022 से 30.11.2022)
राज्य निधि (प्रतिबद्ध)	1297.32	818.60
राज्य निधि	301.26	165.33
योग	**1598.58**	**983.93**

6.0 विभागीय प्रमुख कार्य :

राज्य में सतत् व समग्र नियोजित विकास की प्रक्रिया को वांछित दिशा देने हेतु वर्ष 1964 में राज्य सरकार द्वारा नगर नियोजन विभाग का गठन किया गया था। राज्य में नियोजित नगरीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नगर नियोजन विभाग द्वारा निम्न प्रमुख कार्य सम्पादित किये जाते हैं :–

1. राजस्थान के शहरों/कस्बों के नियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना।
2. राज्य सरकार को नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियों को बनाने एवम् पुनर्विलोकन (Review) करने में सहायता प्रदान करना।
3. राज्य के स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी राय प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (प्राधिकरण/न्यासों/नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं) की बैठक हेतु प्रकरणों का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सैक्टर प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना की नीतियों के तहत राजस्थान उपक्षेत्रीय योजना बनाना व एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड व राजस्थान उप क्षेत्र के स्थानीय निकायों/न्यासों तथा अन्य विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवम् स्थानीय निकायों/विभागों से प्रोजेक्ट तैयार करवाना।

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

7.0 भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2022 तक) :

वित्तीय वर्ष (2022–2023) में राज्य के शहरों/कस्बों के मास्टर प्लानों के संबंध में विभागीय प्रगतिः

1. **मास्टर प्लानों के संबंध में संक्षिप्त रिपोर्ट–**

   नगर नियोजन विभाग का प्रमुख कार्य शहरों/कस्बों के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना है। राजस्थान राज्य के 237 शहरों के 240 नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका) में से दिसम्बर, 2022 तक 189 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है।

   189 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान में से चौमूं, बगरू व बस्सी (नई नगरपालिका) का नगरीय क्षेत्र, जयपुर हेतु तैयार जयपुर मास्टर विकास योजना–2025 में सम्मिलित है, टपूकडा व बर्डोद का नगरीय क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी के मास्टर प्लान में सम्मिलित है व नीमराणा का नगरीय क्षेत्र एस.एन.बी के मास्टर प्लान में सम्मिलित है।

   वित्तीय वर्ष 2022–23 में नसीराबाद के नये मास्टर प्लान–2041 का दिनांक 22.07.2022 को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है।

2. **मास्टर प्लान जिनका क्षितिज वर्ष–2023 तक है, के लिये द्वितीय मास्टर प्लान तैयार करने बाबत –**

   राजस्थान राज्य में 20 शहरों के मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष–2023 है। कोटा–कैथून, कोटा–छबड़ा, कोटा–अंता, फलौदी, भीनमाल, जालोर, शाहपुरा–जयपुर, बाड़ी, डीग, खैरथल–अलवर, सलूम्बर, कपासन, कुशलगढ़, प्रतापगढ़–उदयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पीलीबंगा, डीडवाना एवं देवली के मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष–2023 तक है।

   उक्त शहरों में से विकास के दृष्टिगत तथा शहरों की आवश्यकता के अनुसार कैथून व बाड़ी शहर के मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष में वृद्धि की जानी है एवं शेष शहरों का मास्टर प्लान सीमा तक विकास का विस्तार हो गया है, वहां नवीन/द्वितीय मास्टर प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त शेष शहरों में से सूरतगढ़, पीलीबंगा व प्रतापगढ़ की नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत नगरीय क्षेत्र की अधिसूचनाऐं जारी की जा चुकी हैं।

3. **राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत निम्न शहरों (नवगठित नगरपालिका) नगरीय क्षेत्र की अधिसूचनाऐं जारी की जा चुकी हैं –**

   इटावा, महुआ, रूपवास, किशनगढ़बास, नसीराबाद, खाटूश्यामजी, परतापुर–गढ़ी, थानागाजी, पावटा, रामगढ़–अलवर, लक्ष्मणगढ़–अलवर, बानसूर, मण्डावरी, भोपालगढ़, जावल, सीकरी, उच्चैन, सुल्तानपुर, लालगढ़–जाटन, बसेड़ी, अटरू एवं बामनवास के नवीन मास्टर प्लान बनाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत नगरीय क्षेत्र की अधिसूचनाऐं जारी की जा चुकी है। डेगाना का मास्टर प्लान बनाने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 07.12.2022 को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी करने बाबत पुनः संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए गए।

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

4. **वर्ष 2021 व 2022 में निम्न नवगठित नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है–**

बस्सी, सरमथूरा, सपोटरा, बोरवाड़, कोटकासिम, गोविन्दगढ़–अलवर, बहादुरपुर, बर्डोद, नीमराणा, टपूकड़ा, बडोदा–मेव, जायल, बासनी, हमीरगढ़, टिब्बी, खाजूवाला, नरेना, मनोहरपुरा, मण्डावर, गुढ़ा, दांतारामगढ़, अजीतगढ़, सिवाना, मारवाड़ जंक्शन, रानिवाड़ा, बालेसर, बोली, सेमारी, रिषभदेव व धरियावाद नवीन गठित नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नोट :–

- टपूकडा व बर्डोद का नगरीय क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी के मास्टर प्लान में सम्मिलित है।
- नीमराणा का नगरीय क्षेत्र एस एन बी के मास्टर प्लान में सम्मिलित है।
- बस्सी (नई नगरपालिका) का नगरीय क्षेत्र जयपुर विकास योजना–2025 में सम्मिलित है।

7.1 नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियाँ, अधिनियम, नियम, विनियम तैयार करने में निम्नानुसार सहयोग प्रदान करना :–

आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियाँ, अधिनियम, नियम, विनियम तैयार करने एवं विद्यमान नीतियों/नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रस्तावित करने की कार्यवाही अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) प्रकोष्ठ द्वारा निम्नानुसार की गई है :–

(i) **मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2020 के प्रावधानों में संशोधन/नये प्रावधानों का समायोजन :**
राज्य की लगभग समस्त नगरीय निकायों में लागू मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2020 में आवश्यकतानुसार समय–समय पर विद्यमान प्रावधानों/नये प्रावधानों का समायोजन किया गया।

(ii) **राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में नए प्रावधान एवं संशोधन :**
राज्य में वर्तमान में लागू राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में "Housing for Senior Citizens known as - Retirement Homes" का नया प्रावधान दिनांक 01.04.2022 को व आवश्यकतानुसार समय–समय पर विद्यमान प्रावधानों/नये प्रावधानों का समायोजन किया गया।

(iii) **मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 :**
मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के वर्तमान प्रस्ताव 3–बी व 3–सी को समायोजित करते हुए 3–बी का संशोधित प्रावधान के प्रारूप प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को दिनांक 28.07.2022 को प्रेषित किए गए। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2022 को अनुमोदित कर जारी किया गया।

(iv) **बजट होटल के नियमन हेतु गाईडलाईन :**
होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर द्वारा माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग को संबोधित प्रतिवेदन दिनांक 29.10.2019 के क्रम में निर्देशानुसार बजट होटल के नियमन हेतु गाईडलाईन तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित की गयी। निर्णय अपेक्षित है।

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

(v) **Multi-Functional Use Zone Policy :**

राज्य के नगरीय क्षेत्रों हेतु विभाग द्वारा Multi-Functional Use Zone Policy तैयार कर राज्य सरकार को दिनांक 07.04.2021 को प्रेषित किए गए। निर्णय अपेक्षित है।

(vi) **Heritage Byelaws for Buffer Zone of Amber Fort:**

आमेर फोर्ट के बफर जोन हेतु विभाग द्वारा Heritage Byelaws for Buffer Zone of Amber Fort तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किए गए। निर्णय अपेक्षित है।

(vii) **राज्य के स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना :**

नगर नियोजन सम्बन्धित कार्यों के सुव्यवस्थित निष्पादन के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, नगर विकास न्यासों, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, रीको, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड आदि को आवासीय, व्यावसायिक व अन्य उपयोगों के लिए स्कीम/प्रोजेक्ट तैयार करने एवं नगर नियोजन से संबंधित अन्य प्रकरणों यथा ले–आउट प्लान अनुमोदन, भवन मानचित्र अनुमोदन, भूमि रूपांतरण के प्रकरणों, आदि में विभाग से चाहे अनुसार समय–समय पर तकनीकी राय/ मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

(viii) **उपरोक्त के अतिरिक्त विभागीय अभिनव प्रयोग एवं नवाचार :**

- **मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम संख्या 19 व 20 के अंतर्गत वास्तुविदों का पंजीकरण :**

  राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.10.2020 को जारी किए गए मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के अंतर्गत 500 व.मी. से बड़े व 2500 व.मी. तक भवन मानचित्र अनुमोदन, पूर्णता प्रमाण–पत्र व अधिवास प्रमाण–पत्र (बड़े शहरों में 18 मी. ऊँचाई व छोटे शहरों में 15 मी. ऊँचाई) की प्रक्रिया के सरलीकरण के तहत् वास्तुकला परिषद द्वारा पंजीकृत वास्तुविदों का विनियम संख्या 19 व 20 के अंतर्गत पंजीकरण किए जाने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 08.01.2021 को अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी की गई। विज्ञप्ति जारी होने के बाद आज दिनांक तक 111 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 98 वास्तुविदों का पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने के पश्चात मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा पंजीकरण किया जा चुका है। साथ ही जिन वास्तुविदों के पंजीकरण को एक वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनका नवीनीकरण हेतु आवेदन करने पर पुन एक वर्ष हेतु पंजीकरण निर्धारित शुल्क लिया जाकर किया जा रहा है। जिसमें से 36 वास्तुविदों का नवीनीकरण कर दिया गया है।

- **प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अंतर्गत आमजन से संबंधित तकनीकी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु "नगर–मित्र" (वैकल्पिक व्यवस्था) का पंजीकरण :**

  राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2021 से प्रारंभ किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अंतर्गत आमजन से संबंधित तकनीकी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभाग द्वारा तकनीकीविदों/संस्थाओं का प्रत्येक शहर हेतु "नगर–मित्र" (वैकल्पिक व्यवस्था) के पंजीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसके अनुमोदन उपरान्त "नगर–मित्र" पंजीकरण प्रपत्र (EoI) राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में दिनांक 14.07.2021 को प्रकाशित किये गये। पंजीकरण हेतु आज दिनांक तक प्राप्त 921 आवेदनों की जाँच कर लगभग 733 आवेदकों का पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने के पश्चात मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा नगर मित्र के रूप में पंजीकरण किया जा चुका है।

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

7.2 भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी राय प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (प्राधिकरण/न्यासों/स्थानीय निकायों) की बैठक हेतु प्रकरणों का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करनाः

राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व स्थानीय निकायों के भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी परीक्षण कर सक्षम समिति को तकनीकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरणों एवम् नगर विकास न्यासों, स्थानीय निकायों के राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप परीक्षण कर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

7.3 मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना :

समस्त नगरीय निकायों द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.04.2019 को जारी नवीन विस्तृत गाईडलाइन्स के अनुसार संबंधित विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/स्थानीय निकायों के स्तर पर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिकांश शहरों के जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार कर अधिसूचित किये जा चुके हैं। विभाग द्वारा मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप उपरोक्त में से शेष रहे शहरों के विस्तृत जोनल/सेक्टर डवलपमेंट प्लान तैयार कराने में नगर विकास न्यासों/ स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन/सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

7.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का राजस्थान उप क्षेत्र :–

7.4.1 राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना :–

एनसीआर प्रकोष्ठ, राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला अलवर एवं भरतपुर हेतु राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना–2021 तैयार की गयी है। जिला अलवर एवं जिला भरतपुर हेतु उप क्षेत्रीय योजना 2021 का क्रमशः नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 10.11.2015 एवं दिनांक 18.02.2020 द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।

राजस्थान उपक्षेत्रीय योजना–2041 तैयार करने के लिए डेटा कलेक्शन का कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही सलाहकार नियुक्त करने के क्रम में RFP/TOR का कार्य किया जा रहा है।

7.4.2 क्षेत्रीय योजना – 2041 :–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना – 2041 का प्रारूप दिनांक 09.12.2021 को एनसीआरपीबी, नई दिल्ली द्वारा जारी किया जा चुका है। जिस हेतु एनसीआर सैल, राजस्थान द्वारा क्षेत्रीय योजना – 2041 हेतु राजस्थान सब–रीजन अलवर एवं भरतपुर के सम्बन्धित डेटा का समायोजन करवाया गया।

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

7.4.3 मास्टर प्लान :–

- अलवर जिले के किशनगढ़बास एवं थानागाजी के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देने का कार्य प्रक्रियाधीन है एवं नवीन नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान तैयार करना (बानसूर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ के मास्टर प्लान तैयार करने हेतु धारा 3(1) के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं एवं गोविन्दगढ़ कस्बे के मास्टर प्लान तैयार करने हेतु धारा 3(1)के प्रस्ताव तैयार किये जाने हैं)।
- भरतपुर जिले के रूपबास कस्बे के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देने का कार्य प्रक्रियाधीन है एवं उच्चैन व सीकरी कस्बों के मास्टर प्लान तैयार करने हेतु धारा 3(1) के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

7.4.4 अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट/परियोजनाऐं एवं कार्य :–

अ) राजस्थान उप क्षेत्र मे एनसीआरपीबी द्वारा स्वीकृत परियोजनाऐं :–

एनसीआरपीबी, नई दिल्ली द्वारा जयपुर मेट्रो के आगामी फेज के लिए लगभग 1200 करोड़ रूपये वित्तीय सहायता दिये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

एनसीआरपीबी द्वारा 2783.22 करोड़ रूपये अनुमानित लागत की 82 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तथा 2570.79 करोड़ ऋण राशि के रूप में स्वीकृत की गई है। स्वीकृत की गई परियोजनाएँ मुख्यतः जल आपूर्ति, बिजली, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं आदि से संबंधित है।

कुल 82 परियोजनाओं में से 37 (दिनांक 30.09.2022 तक) परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। कुल 45 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिनमें पीएचईडी विभाग की 07 जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना, पीडब्ल्यूडी विभाग की जिला अलवर की 38 सडकों को सुदृढीकरण की परियोजनाऐं, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसरण निगम लि. की अलवर में 01 परियोजना एवं अलवर (कारोली)/भरतपुर (सीकरी) में 01 परियोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण की अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) कायाकल्प योजना तथा 07 परियोजनाऐं आरओबी, आरयूबी, एलिवेटेड रोड आदि से संबंधित परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

ब) एनसीआर के रीजनल प्लान एवं राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना के प्रारूप के नीतियों एवं प्रावधानों की मॉनिटरिंग :–

एनसीआर के रीजनल प्लान–2021 एवं राजस्थान सब–रीजनल प्लान–2021 (जिला अलवर एवं भरतपुर) में प्रस्तावित नीतियों एवं प्रावधानों की मॉनिटरिंग एवं इसके संबंध में विभिन्न विभागों से सम्पर्क व समन्वय का कार्य भी एनसीआर प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

स) मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सेक्टर प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना :–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला अलवर एवं जिला भरतपुर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सेक्टर प्लान तैयार करने में नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। अलवर एवं भरतपुर जिले के जोनल प्लान तैयार कर Gazette नोटिफिकेशन हो चुका है।

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

8.0 प्रशासनिक कार्य :

8.1 पदोन्नतियाँ :

विभाग में अधिकांशतः संवर्गो के वर्ष 2022–2023 तक के उपलब्ध रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाकर पदोन्नतियां दी जा चुकी है। 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 के दौरान हुई पदोन्नतियों का विवरण ***परिशिष्ट–'द'*** पर संलग्न है।

8.2 नियुक्तियाँ :

नगर नियोजन विभाग में वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक निम्न पदों पर नियुक्ति दी गयी है :–

क्र. सं.	वर्ष	पदनाम	कुल नियुक्तियों की संख्या	नियुक्ति का माध्यम
1.	2019	कनिष्ठ सहायक	11	राजस्थान लोक सेवा आयोग
2.	2019	कनिष्ठ सहायक	01	अनुकम्पा नियुक्ति
3.	2019	अन्वेषक ग्रेड–द्वितीय	01	अनुकम्पा नियुक्ति
4.	2020	सहायक नगर नियोजक	15	राजस्थान लोक सेवा आयोग
5.	2020	नगर नियोजन सहायक	03	राजस्थान लोक सेवा आयोग
6.	2020	कनिष्ठ सहायक	10	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
7.	2020	कनिष्ठ सहायक	01	अनुकम्पा नियुक्ति
8.	2022	शीघ्रलिपिक	05	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
कुल			**47**	

<u>नगर नियोजन विभाग में वर्ष 2023–24 में संभावित निम्न पदों पर नियुक्ति की संभावना है :–</u>

क्र.स.	पदनाम	नियुक्तियों की संख्या	नियुक्ति का माध्यम	विशेष विवरण
1.	सहायक नगर नियोजक	43	राजस्थान लोक सेवा आयोग	आयोग द्वारा दिनांक 04.10.22 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।
2.	कनिष्ठ सहायक	14	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड	प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को रिक्त पदों की सूचना भिजवायी जा चुका है।
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड	प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को रिक्त पदों की सूचना भिजवायी जा चुका है।

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

विभाग का संगठनात्मक ढांचा परिशिट–अ

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF TOWN PLANNING DEPARTMENT As on 31.12.2022

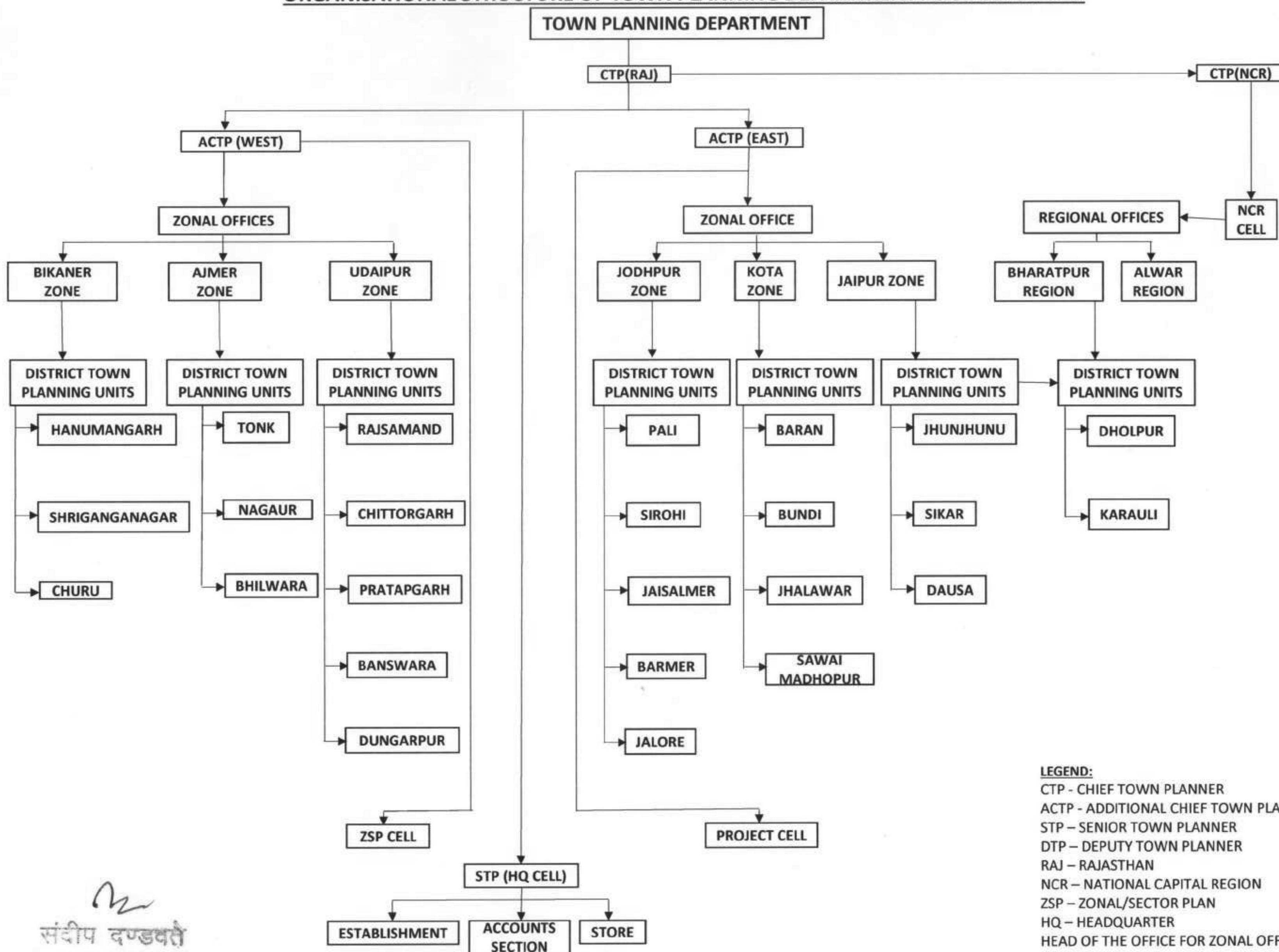

LEGEND:

CTP - CHIEF TOWN PLANNER
ACTP - ADDITIONAL CHIEF TOWN PLANNER
STP – SENIOR TOWN PLANNER
DTP – DEPUTY TOWN PLANNER
RAJ – RAJASTHAN
NCR – NATIONAL CAPITAL REGION
ZSP – ZONAL/SECTOR PLAN
HQ – HEADQUARTER
HEAD OF THE OFFICE FOR ZONAL OFFICE- STP
HEAD OF THE OFFICE FOR REGIONAL OFFICE- DTP

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–'ब'

विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत कार्मिकों का विवरण
(दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में)

क्र सं.	सेवा	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	विभाग में रिक्त पद	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
1.	राज. नगर नियोजन सेवा	मुख्य नगर नियोजक	2	2	0	1
2.	राज. नगर नियोजन सेवा	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	2	1	1	6
3.	राज. नगर नियोजन सेवा	वरिष्ठ नगर नियोजक	10	3	7	0
4.	राज. नगर नियोजन सेवा	उप नगर नियोजक	15	19	−4	28
5.	राज. नगर नियोजन सेवा	उप नगर नियोजक(पीआर)	6	4	2	0
6.	राज. नगर नियोजन सेवा	सहायक नगर नियोजक	58	12	46	13
7.	राज. नगर नियोजन सेवा	सहायक नगर नियोजक(पीआर)	7	1	6	1
8.	अभियन्ता संवर्ग	सहायक अभियन्ता	15	1	14	0
9.	अभियन्ता संवर्ग	कनिष्ठ अभियन्ता	2	0	2	0
10.	लेखा सेवा	मुख्य लेखाधिकारी	1	0	1	0
11.	अधीनस्थ लेखा सेवा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	1	1	0	0
12.	अधीनस्थ लेखा सेवा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	2	2	0	0
13.	अधीनस्थ लेखा सेवा	कनिष्ठ लेखाकार	10	9	1	0
14.	मंत्रालयिक सेवा	अतिरिक्त निजी सचिव	5	3	2	0
15.	मंत्रालयिक सेवा	संस्थापन अधिकारी	1	1	0	0
16.	मंत्रालयिक सेवा	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	0
17.	मंत्रालयिक सेवा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	4	0	0
18.	मंत्रालयिक सेवा	निजी सहायक	3	0	3	0
19.	मंत्रालयिक सेवा	शीघ्रलिपिक	5	5	0	0
20.	मंत्रालयिक सेवा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9	4	5	0
21.	मंत्रालयिक सेवा	वरिष्ठ सहायक	13	13	0	0
22.	मंत्रालयिक सेवा	वरिष्ठ सहायक	3	3	0	0
23.	मंत्रालयिक सेवा	कनिष्ठ सहायक	30	12	18	0
24.	कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0
25.	नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा	अनुसंधान सहायक	8	2	6	0
26.	नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा	अन्वेषक ग्रेड–प्रथम	4	2	2	0
27.	नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा	अन्वेषक ग्रेड–द्वितीय	1	0	1	0
28.	नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा	नगर नियोजन सहायक	6	7	−1	2
29.	नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा	वरिष्ठ प्रारूपकार	25	6	19	2
30.	नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा	कनिष्ठ प्रारूपकार	25	0	25	0
31.	नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा	फैरोप्रिन्टर	1	1	0	0
32.	नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा	फैरोमेन	2	1	1	0
33.	अधीनस्थ सेवा	वाहन चालक	2	2	0	0
34.	चतुर्थ श्रेणी सेवा	जमादार	6	3	3	0
35.	चतुर्थ श्रेणी सेवा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	32	9	23	0
	कुल योग		**318**	**134**	**184**	**53**

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–'स'

विभिन्न राजकीय विभागों / स्थानीय निकायों / प्राधिकरणों / न्यासों / अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के नगर नियोजन विभाग से सम्बन्धित प्रतिनियुक्ति पद **(दि.31.12.2022)**

क्र. सं.	संस्थान का नाम	नगर नियोजन विभाग की कैडर स्ट्रेन्थ में स्वीकृत पद								
		CTP	ACTP	STP	DTP	ATP	TPA	SDM	JDM	Total
1	जयपुर विकास प्राधिकरण	1	2	2	7	23	10	18	3	66
2	अजमेर विकास प्राधिकरण	-	1	-	1	4	1	2	3	12
3	जोधपुर विकास प्राधिकरण	-	1	-	2	2	1	1	1	8
4	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	-	1	1	-	-	-	-	-	2
5	स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	-	-	-	-	2	-	-	-	2
6	नगर निगम, जयपुर	-	2	-	-	-	-	-	-	2
7	बीडा, भिवाड़ी	-	1	1	-	-	-	1	-	2
8	रीको, जयपुर	-	1	-	1	-	-	-	-	1
9	सीएडी, बीकानेर	-	-	-	1	-	-	-	-	1
10	नगरीय विकास विभाग, जयपुर	-	-	-	1	-	1	-	-	2
11	नगर विकास न्यास, आबू	-	-	-	1	-	-	-	-	1
12	नगर विकास न्यास, अलवर	-	-	-	-	-	1	-	-	1
13	नगर विकास न्यास, बाड़मेर	-	-	-	1	-	-	-	-	1
14	नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा	-	-	-	1	-	-	-	-	1
15	नगर विकास न्यास, बीकानेर	-	-	-	1	-	-	1	1	3
16	नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़	-	-	-	1	-	-	-	-	1
17	नगर विकास न्यास, जैसलमेर	-	-	-	1	-	-	-	-	1
18	नगर विकास न्यास, कोटा	-	-	1	1	1	1	3	1	8
19	नगर विकास न्यास, पाली	-	-	-	1	-	-	-	-	1
20	नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर	-	-	-	1	-	-	-	-	1
21	नगर विकास न्यास, सीकर	-	-	-	1	-	-	-	-	1
22	नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	-	-	-	-	1	-	-	1	2
23	नगर विकास न्यास, उदयपुर	-	-	-	1	-	1	-	-	2
24	स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर	-	-	-	1	-	-	-	-	1
25	स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जयपुर	-	-	-	1	-	-	-	-	1
26	स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उदयपुर	-	-	-	1	-	-	-	-	1
27	स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा	-	-	-	1	-	-	-	-	1
28	फैक्ट्री एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, जयपुर	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	कुल योग :	**1**	**9**	**5**	**28**	**33**	**17**	**26**	**10**	**129**

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–'द'

विभाग में पदवार पदोन्नतियों का विवरण

क्र सं.	पदनाम	डीपीसी वर्ष	डीपीसी बैठक दिनांक	चयनित राजसेवकों की सं.	विशेष विवरण
1.	मुख्य नगर नियोजक	**2022–23**	**24.08.22**	**01**	—
2.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	2021–22 (रिव्यू) 2022–23 (नियमित)	—	—	डीपीसी की बैठक प्रक्रियाधीन
3.	वरिष्ठ नगर नियोजक	2016–17 (रिव्यू) 2018–19 (नियमित) 2022–23 (नियमित)	—	—	2016–17 (रिव्यू) एवं 2018–19 (नियमित) डीपीसी की बैठक प्रक्रियाधीन। 2022–23 की नियमित डीपीसी, पात्रता सूची में उपलब्ध 01 मात्र राजसेवक की लगभग 01 वर्ष की निलम्बन अवधि के नियमितिकरण पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।
4.	उप नगर नियोजक	**2020–21 (रिव्यू)**	**15.06.22**	**03**	2021–22 में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने एवं 2022–23 में पदोन्नति हेतु पद उपलब्ध न होने/प्रतिनियुक्ति के सभी पद विभाग की कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित के कारण डीपीसी की बैठक अपेक्षित नहीं है।
5.	उप नगर नियोजक (पीआर)	**2022–23**	**19.10.22**	**01**	—
6.	सहायक नगर नियोजक	**2021–22** **2022–23**	**14.02.22** **21.07.22**	**02** **09**	—
7.	सहायक नगर नियोजक(पीआर)	2022–23	—	—	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
8.	सहायक अभियन्ता	2022–23	—	—	पदोन्नति हेतु कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं।
9.	अतिरिक्त निजी सचिव	2022–23	—	—	पदोन्नति हेतु कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं।
10.	संस्थापन अधिकारी	**2022–23**	**06.09.22**	**01**	—
11.	प्रशासनिक अधिकारी	2022–23	—	—	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
12.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	**2022–23**	**25.08.22**	**02**	—
13.	निजी सहायक	2022–23	—	—	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
14.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2021–22(रिव्यू) 2022–23 (नियमित)	—	—	रिव्यू डीपीसी हेतु कार्मिक विभाग की सहमति का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रिव्यू डीपीसी पश्चात् वर्ष 2022–23 की नियमित डीपीसी की कार्यवाही की जायेगी।
15.	वरिष्ठ सहायक	2022–23	—	—	पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध नहीं है।
16.	कनिष्ठ सहायक	2022–23	—	—	पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
17.	अनुसंधान सहायक	**2022–23**	**24.08.22**	**02**	—
18.	अन्वेषक ग्रेड–प्रथम	**2022–23**	**06.09.22**	**01**	—
19.	नगर नियोजन सहायक	**2021–22** **2022–23**	**14.02.22** **21.07.22**	**02** **07**	—
20.	वरिष्ठ प्रारूपकार	2022–23	—	—	पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
21.	कनिष्ठ प्रारूपकार	2022–23	—	—	पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
22.	फैरोप्रिन्टर	**2022–23**	**—**	**01**	आदेश दिनांक 27.07.22 द्वारा पदोन्नति।
	कुल पदोन्नत/चयनित राजसेवक			**32**	

संदीप दण्डवते
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर